

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5305
(दिनांक 25.03.2026 को उत्तर के लिए)

सिविल सेवाओं में रिक्त पद

5305. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवा के पदों की संस्वीकृत संख्या का एक बड़ा प्रतिशत वर्तमान में रिक्त पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सेवाओं के कार्यकरण में आईएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की कमी के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सेवा में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में संस्वीकृत पद संख्या और पदस्थ अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सेवा	आईएस	आईपीएस	आईएफएस
संस्वीकृत पद संख्या	6877	5099	3193
पदस्थ अधिकारी	5577	4594	2164

भर्ती, एक सतत प्रक्रिया है और इन सेवाओं में रिक्तियों को राज्यों की प्रशासनिक अपेक्षाओं के साथ-साथ अधिकारियों के लिए उपलब्ध पदोन्नति की संभावनाओं और करियर विकास को ध्यान में रखते हुए साल-दर-साल आधार पर भरा जाता है। आईएस, आईपीएस और आईएफएस की संवर्ग समीक्षा की प्रक्रिया, सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्षों में आयोजित की जाती है। संवर्ग संबंधी अपेक्षाओं, रिक्तियों और भावी कार्यात्मक अपेक्षाओं का भी राज्यों के परामर्श से आकलन किया जाता है।
